उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0),प्रथम तल, नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून

अधिसूचना

अप्रैल 30, 2008

No. F-9(21)/RG/UERC/2008/145 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

अध्याय–1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व व्याख्या

(1) ये विनियम "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (गैर परम्परागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत आपूर्ति हेतु शुल्क व अन्य शर्तें) विनियम, 2008 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे तथा जब तक कि आयोग द्वारा इससे पहले इनकी समीक्षा न की जाये या इन्हें विस्तारित न किया जाये, ये 31.03.2012 तक प्रवृत्त रहेंगे किन्तु यदि इनके स्थान पर नये विनियम नहीं बनाये जाते, इनका लागू रहना जारी रहेगा।

(3) इन विनियमों के प्रवृत्त होने के साथ उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (खोई (Bagasse) आधारित कोजेनरेशन परियोजनाओं के लिए शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2007 निरस्त हो जायेगा तथा 1 मेगावाट तक की क्षमता वाले लघु हाइड्रो पावर परियोजनाओं (संशोधन विनियम दिनांक 18.05.2007 सहित) एवं 1 मेगावाट से अधिक व 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली नयी लघु परियोजनाओं हेतु शुल्क के निर्धारण में दृष्टिकोण पर आदेश दिनांक 10. 11.2005 अधिक्रान्त हो जायेंगे।

(4) इन विनियमों में उपयोग किये गये सभी शब्द व अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं की गई है, उनका वही अर्थ होगा जो कि उक्त अधिनियम में उनके लिए समनुदिष्ट है।

---

[1] *यह विनियम अंग्रेजी विनियम* दिनांक 10.05.2008 का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

2. उद्देश्य

(1) बायोमास/खोई (Bagasse) आधारित कोजनरेशन, वायु जल और सौर जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों तथा बायोगैस औद्यौगिक व नगरीय कचरे जैसे ऊर्जा के अन्य गैर परम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन, उत्पादन क्षमता के आवर्धन में क्रमशः महत्वपूर्ण होता जा रहा हैं ऊर्जा के पारम्परिक स्रोतों के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्रदान करने के अलावाा ये स्रोत पर्यावरण के भी अनुकूल है।

(2) इन विनियमों का उद्देश्य, इन स्रोतों से उत्पादन में वृद्धि, ग्रिड के साथ इन उत्पादक संयंत्रों की संयोजकता को सुगम बनाना तथा किसी भी व्यक्ति को विद्युत की बिक्री सुनिश्चित करना तथा उस कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का वह प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना है जो कि जिस क्षेत्र में संयंत्र अवस्थित है, उस क्षेत्र में वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा क्रय किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त इन विनियमों का उद्देश्य यथास्थिति केन्द्रीय युटिलिटीज व उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड के साथ तथा राज्य ग्रिड में वार्तालाप करने वाली विभिन्न युटिलिटीज के मध्य सूचना का आदान प्रदान सुनिश्चित करते हुए संयंत्र को एक दक्ष, सुरक्षित व समन्वित तरीके से परिचालित करना है। इन विनियमों का अनुपालन न करना, अधिनियम में उपयुक्त उपबंध के अधीन कार्यवाही हेतु दायित्वाधीन होगा।

(3) गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय विद्युत नीति, पैरा 5.2.20 में इस प्रकार परिकल्पित है ''अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन क्षमता निर्माण करने के लिए गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की कुल भागिता को बढ़ाने की दृष्टि से धारणीय प्रोत्साही उपायों के माध्यम से निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जायेगें।

3. आवेदन की परिधि एवं विस्तार

(1) जहां शुल्क का अवधारण, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है, वहां आयोग, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसा शुल्क अपनाएगा।

(2) ये विनियम उन अन्य सभी मामलों में लागू होंगे जहां उन उत्पादक स्टेशनों से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत की आपपूर्ति हेतु शुल्क तथा अन्य शर्तें आयोग द्वारा अवधारित की जानी हैं, जो गैर परंपरागत तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पर आधारित हैं तथा उत्तराखण्ड में अवस्थित हैं।

किन्तु, अध्याय 4 में के विनियम, 1.1.2002 से पहले प्रवर्तन में लाए उत्पादक स्टेशनों के लिए लागू नहीं होंगे तथा उनके वर्तमान शुल्क तब तक जारी रहेंगे जब तक कि आयोग द्वारा प्रत्येक मामले के लिए अलग आधार पर उन्हें निर्धारित नहीं कर दिया जाता।

साथ ही यह भी कि वे मामले जिनमें कानूनी रूप से वैध विद्युत क्रय करार एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये हैं या जिनमें परियोजना की वित्तीय बंदी, पिछले विनियमों/आयोग के आदेशों के आधार पर इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व हुई है, उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसे उत्पादकों के पास इन विनियमों के अधीन आने का विकल्प होगा, ऐसी स्थिति में, ये विनियम उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे तथा उनके ऊर्जा क्रय करार, यदि कोई हैं, उपयुक्त रूप से संशोधित करने होंगे। अनुज्ञप्तिधारी को यह विकल्प अधिक से अधिक 30.09.2008 तक दिया जाएगा तथा एक विकल्प का प्रयोग कर लेने पर यह प्रतिसंहरणीय नहीं होगा।

आगे यह भी कि उन उत्पादक स्टेशनों के संबंध में जहां निर्देश एक उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी किये गये हैं वहां वे अपने संबंधित निर्देशों से शासित होंगे।

आगे यह भी कि क्रमशः दूसरे व तीसरे परन्तुक में पिछले ऊर्जा क्रय करारों/विनियमों/आदेशों तथा निर्देशों के अधीन आए उत्पादक, उस सीमा तक इन विनियमों द्वारा शासित होंगे जिस तक ये उन उपबंधों/निर्देशों से असंगत नहीं हैं तथा किसी विरोध की स्थिति में इन विनियमों के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(3) अध्याय 4 में आए विनियमों को छोड़कर, ये विनियम उन अन्य उत्पादक स्टेशनों पर लागू होंगे जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित हैं जो राज्य पारेषण व/या वितरण प्रणाली का उपयोग करते हुए विद्युत पारेषित व/या आपूर्ति करते हैं।

(4) इन विनियमों के अधीन आए उत्पादक स्टेशनों को एक उत्पादक कंपनी के उत्पादक स्टेशन समझा जाएगा तथा अधिनियम के अधीन ऐसे उत्पादक स्टेशनों को सौंपे गये सभी कार्य, दायित्व एवं ड्यूटीज इन ऊर्जा स्टेशनों पर लागू होंगे।

4. परिभाषाएं

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में उपयोग किए गये शब्दों का निम्न अनुसार अर्थ होगा :

(1) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है।

(2) 'उपयुक्त आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय नियामक आयोग या अधिनियम की धारा 83 में संदर्भित संयुक्त आयोग यथा स्थिति, अभिप्रेत है।

(3) 'प्राधिकारी' से अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) में सदंर्भित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(4) ऊर्जा की बैंकिग वह प्रक्रिया है जिसके अधीन एक उत्पादक स्टेशन किसी तीसरे पक्ष या अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय के आशय से किसी ग्रिड को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता बल्कि उसका आशय ग्रिड से इस ऊर्जा को वापस लेने की योगयता का प्रयोग होता है।

(5) 'पूंजी लागत' से प्राप्तकर्ता के स्थल तक पारेषण एवं संयोजन/मीटरिंग/अन्य उपस्कर की लागत सहित पिछली यूनिट के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के एक वर्ष पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक परियोजना की मूल परिधि के अनुसार उत्पादक कंपनी द्वारा किया गया वास्तविक व्यय अभिप्रेत है।

(6) 'कैप्टिव उत्पादक संयंत्र' से ऐसा ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित किया गया है, इसमें किसी सहकारी समिति या व्यक्तियों के संगठन द्वारा स्थापित ऐसा ऊर्जा संयंत्र भी सम्मिलित है, जो प्राथमिक रूप से सहकारी समिति या संगठन के सदस्यों के उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित किया गया हो।

(7) :को जनरेशन' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो उपयोगी ऊर्जा (विद्युत सहित) के दो या उससे अधिक स्वरूप एक साथ उत्पन्न करती है।

(8) 'केन्द्रीय आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(9) 'केन्द्रीय पारेषण युटिलिटी' से ऐसी कोई सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार अधिसूचित करे।

(10) 'कम्पनी' से कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन संरक्षित व पंजीकृत कम्पनी अभिप्रेत हैं।

(11) 'आयोग' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(12) 'डेडीकेटेड पारेषण लाईन' से ऐसी पांइन्ट टू पाइन्ट हेतु विद्युत आपूर्ति लाईन अभिप्रेत है जो किन्हीं पारेषण लाईन्स या उप स्टेशन्स या उत्पादक स्टेशन्स या भार केन्द्र, यथा स्थिति, से अधिनियम की धारा 10 में संदर्भित उत्पादक स्टेशन या अधिनियम की धारा 9 में संदर्भित कैप्टिव उत्पादक संयंत्र की विद्युत लाईन्स या विद्युत संयंत्र के जोड़ने के उद्देश्य से आवश्यक है।

(13) 'वितरण अनुज्ञप्तिधारी' से ऐसा अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है जो कि अपने आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु एक वितरण प्रणाली परिचालित करने व अनुरक्षित करने के लिए प्राधिकृत हो।

(14) एक यूनिट के सम्बन्ध में 'वाणिज्यिक परिचालन या प्रवर्तन की तिथि' से, एक सफल परीक्षण रन के माध्यम से अधिकतम निरंतर रेटिंग प्राप्त करने पर उत्पादक द्वारा घोषित तिथि तथा एक उत्पादक स्टेशन के सम्बन्ध में वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से उत्पादक स्टेशन की पिछली

यूनिट या ब्लॉक के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि अभिप्रेत है तथा 'प्रवर्तन' अभिव्यक्ति का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(15) 'उत्पादक कम्पनी' से कोई कम्पनी या निगमित निकाय या संगठन या व्यक्तियों का निकाय, चाहे व निगमित हो या न हो या कृत्रिम विधिक व्यक्ति हो, जो एक उत्पादक स्टेशन का स्वामी हो, उसे परिचालित करता हो या उसका अनुरक्षण करता हो, अभिप्रेत है।

(16) 'उत्पादक स्टेशन' या स्टेशन से विद्युत उत्पादन करने वाला कोई स्टेशन अभिप्रेत है। इसमें स्टैपअप ट्रांसफार्मर गियर, स्विचयार्ड केबल्स या अन्य अनुलग्नक उपस्कर, यदि कोई है, जो इस उद्देश्य या उसके स्टॉक हेतु उपयोग किया जाता हो, के साथ कोई भवन या संयंत्र, एक उत्पादक स्टेशन के उपयोग हेतु आशयित स्थल तथा उत्पादक स्टेशन के परिचालन स्टाफ के आवास हेतु उपयोग में लाया जाने वाला कोई भवन किंतु जिसमें कोई उपस्टेशन नहीं है, सम्मिलित है।

(17) 'उत्पादक करना' से किसी परिसर को आपूर्ति करने के उद्देश्य हेतु उत्पादक स्टेशन से विद्युत उत्पन्न करना या उस प्रकार दी जाने आपूर्ति को समर्थ बनाना, अभिप्रेत है।

(18) 'ग्रिड कोड' से, अधिनियम की धारा 79 को उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है।

(19) ग्रिड से, अन्तःसंयोजित पारेषण लाइनों, उप स्टेशनों तथा उत्पादक संयंत्रों की उच्च वोल्टेज मुख्य आधार प्रणाली अभिप्रेत है।

(20) 'इन्फर्म ऊर्जा' से, एक उत्पादक स्टेशन की यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व उत्पादित विद्युत अभिप्रेत है।

(21) 'संस्थापित क्षमता' या 'आईसी' से उत्पादक स्टेशन में यूनिटों की नाम पट्टिका क्षमता का स्टेशन या उत्पादक स्टेशन की क्षमता (उत्पादक टर्मिनल्स पर गणित) अभिप्रेत है।

(22) 'राष्ट्रीय विद्युत योजना' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना अभिप्रेत है।

(23) 'खुली पहुँच' से, उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुरूप उत्पादन में संलग्न किसी अनुज्ञाप्तिधारी या उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा ऐसी लाइनों या प्रणाली के साथ पारेषण लाईनों या वितरण प्रणाली या संलग्न सुविधाओं के उपयोग हेतु अभेदपूर्वक उपबंध अभिप्रेत है।

(24) ''खुली पहुंच विनियम'' से, समय–समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (वितरण में खुली पहुंच हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 अभिप्रेत है।

(25) ''परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय'' या ''ओ. एण्ड एम. व्यय'' से उत्पादक स्टेशन या उसके किसी भाग के परिचालन एवं अनुरक्षण में हुआ व्यय अभिप्रेत है, इसमें जनशक्ति, मरम्मत, पुर्जों उपभोज्यों बीमा व उपरिव्यय सम्मिलित है।

(26) ''पीक आवर्स/ऑफ पीक आवर्स'' से, आयोग द्वारा जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, समय–समय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस प्रकार निर्धारित किये गये घंटे अभिप्रेत हैं।

(27) ''व्यक्ति'' में कोई कंपनी या निगमित निकाय या संगठन या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित है या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति है, सम्मिलित है।

(28) ''संयंत्र भार कारक'' से अभिप्राय होगा– एक अवधि में संस्थापित क्षमता के तदनुरूप प्रेषित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त अवधि के दौरान उत्पादन में तदनुरूप कुल प्रेषित ऊर्जा।

$$\text{पी.एल.एफ.} = \frac{\text{ई.एस.ओ.} \times 10^{7}\ \%}{\text{आई.सी.} \times (100 - \text{ए.यू.एक्स.}) \times 8760}$$

जहां,

ई.एस.ओ. – एक्स बस प्रेषित ऊर्जा तथा वर्ष के दौरान एम.यू. में विक्रय की गयी।

आई.सी. – संस्थापित क्षमता एम.डब्ल्यू. में।

ए.यू.एक्स. – मानकीय सहायक उपभोग (अर्थात् कोजनरेशन हेतु 8.5)

(29) ''ऊर्जा क्रय करार'' या ''पी.पी.ए.'' से, करार में विनिर्दिष्ट शर्तों व निबंधनों पर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु एक उत्पादक कंपनी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य करार, जिसमें यह उपबंध हो कि ऊर्जा के विक्रय हेतु शुल्क, समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, अभिप्रेत है।

(30) ''क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र'' से अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है।

(31) ''विनियम'' से अधिनियम के अधीन निर्मित ये विनियम अभिप्रेत हैं।

(32) ''नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत'' से वायु, सौर, लघु हाइड्रो, बायो गैस, बायो मास/खोई, कृषि आधारित ईंधन जैसे ऊर्जा के स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) द्वारा परिभषित ऐसे अन्य स्रोत जिन्हें ऊर्जा उत्पादन हेतु उपभोग में लाया जा सके, अभिप्रेत हैं।

(33) ''नियमों'' से अधिनियम के अधीन निर्मित नियम अभिप्रेत हैं।

(34) ''क्रय योग्य विद्युत'' से गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा अनुज्ञात करने के पश्चात् विक्रय (एक्स बस) हेतु उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है।

(35) ''विनिर्दिष्ट'' से अधिनियम के अधीन उपयुक्त आयोग या प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा निर्मित विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट, अभिप्रेत है।

(36) ''राज्य ग्रिड कोड'' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007 अभिप्रेत है।

(37) ''राज्य भार प्रेषण केन्द्र'' से अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है।

(38) ''राज्य पारेषण यूटिलिटी'' से अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट बोर्ड या सरकारी कंपनी अभिप्रेत है।

(39) ''उपस्टेशन'' से पारेषण हेतु विद्युत को प्रवर्तित या परिवर्तित करने या इसके वितरण हेतु स्टेशन अभिप्रेत है तथा इसमें प्रवर्तक, परिवर्तक, स्विचगियर्स, कैपेसिटर्स, सिंक्रोनुअस कंडेंसर्स, ढांचे, केबल्स तथा अन्य अनुलग्नक उपस्कर तथा कोई भवन जिनका इस उद्देश्य के लिए उपयोग होता हो तथा उसका स्थल अभिप्रेत है।

(40) ''व्यापार'' (Trading) से विद्युत का इसके पुनः विक्रय हेतु क्रय करना अभिप्रेत है तथा ''व्यापार'' अभिव्यक्ति का तदनुरूप अर्थ लगाया जाएगा।

(41) ''व्हीलिंग'' से ऐसा परिचालन अभिप्रेत है जिसके द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, की वितरण प्रणाली तथा सहायक सुविधाएं, अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा निर्धारित किये जाने वाले प्रभार के भुगतान पर विद्युत के वाहन हेतु अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लायी जाती हैं।

(42) ''वर्ष'' से एक वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

अध्याय– 2

सामान्य शर्तें

5. योग्य स्रोतों हेतु अर्हक आवश्यकताएं

(1) इन विनियमों के उद्देश्य हेतु सभी प्रकार के गैर परम्परागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिन्हें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योग्य स्रोत कहा जाएगा, विचारणीय होंगे, जिन्हें सामूहिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा (आर.ई.) स्रोत/परियोजना के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

(2) इन विनियमों के अधीन योग्यता हेतु, केवल ग्रिड संयोजित आर.ई. उत्पादक परियोजना से उत्पादन ही विचारणीय होगा तथा 'ऑफ ग्रिड' उत्पादक परियोजना या 'स्टैण्ड एलोन' प्रणाली से उत्पादन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) वर्तमान में निम्नलिखित स्रोतों तथा प्रौद्योगिकियों से उत्पादन ही इन विनियमों के अधीन समावेश के लिए योग्य होंगे:

- 25 एम.डब्ल्यू. तक की क्षमता के साथ लघु हाइड्रो
- वायु
- संयुक्त चक्र के साथ अपने एकीकरण सहित सौर
- बायोमास
- एम.एन.आर.ई. दिशा–निर्देशों के अनुसार 25 प्रतिशत जीवाश्म ईंधन उपभोग के साथ बायो ईंधन कोजनरेशन।
- शहरी/नगरीय अपशिष्ट।

(4) कोई नया स्रोत या प्रौद्योगिकी केवल एमएनआरई में अनुमोदन पर आधारित प्रौद्योगिकी में आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात ही 'नवीकरणीय ऊर्जा' के रूप में योग्य होगी। इसके अतिरिक्त, आयोग प्रत्येक प्रौद्योगिकी के लिये शुल्क अलग से निर्धारित करेगा।

6. कोजेनरेशन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा में अन्य परंपरागत स्रोतों से उत्पादन

(1) कोई व्यक्ति वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपस्टेशन या ग्रिड से संयोजकता के बिंदु तक अपने संयंत्र से विद्युत ले जाने के लिये एक डेडिकेटेड पारेषण लाईन तथा कोजेनरेशन या ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत एवं अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन हेतु एक उत्पादक स्टेशन (इसके आगे संयंत्र संदर्भित) या निर्माण अनुरक्षण व परिचालन कर सकता है।

(2) संयंत्र को, अधिनियम की धारा 7 के अभिप्राय के भीतर उत्पादक कंपनी का उत्पादक स्टेशन समझा जायेगा जोकि यदि अधिनियम की धारा 53 व धारा 73 के अधीन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करता है तो अधिनियम के अधीन लायसेंस प्राप्त किये बिना एवं उत्पादक स्टेशन की स्थापना, परिचालन व उसका अनुरक्षण करेगा। तथापि जल–विद्युत उत्पादन के लिये विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8 के उपबंध लागू होंगे।

7. पर्यावरणीय व अन्य अनुमतियां

(1) उत्पादक स्टेशन को संघ/राज्य सरकार, यथा स्थिति, द्वारा नियत उत्सर्जन मानकों का पालन करना होगा तथा इस उद्देश्य के लिये यह केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों से सभी आवश्यक पर्यावरणीय व प्रदूषण संबंधी अनुमतियां प्राप्त करेगा।

(2) उत्पादक स्टेशन, जहां आवश्यक हो वहां उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूआरईडीए) से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करेगा।

8. उत्पादक संयंत्र के दायित्व

(1) उत्पादक संयंत्र की क्षमता, ऐसे स्रोत तथा इसके अधिकतम उपयोग के साथ उपलब्ध विद्युत उत्पादन की क्षमता के दृष्टिगत, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में, उत्पादन संयंत्र की क्षमता का निर्धारण, उत्पादक कंपनी द्वारा किया जायेगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसी व्यवस्था हो या ऐसी व्यवस्था करना चाहता हो जिन पर ये विनियम लागू होंगे, उसका यह दायित्व होगा कि वह आयोग द्वारा अपेक्षित तरीके व स्वरूप में आयोग के समक्ष उत्पादक संयंत्र के प्रवर्तन से संबंधित विस्तृत जानकारी या अन्य सूचना तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, प्रगति, निर्माण आदि की जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे।

(3) उत्पादक संयंत्र ग्रिड के अनुशासन का पाबंद रहेगा तथा इसकी प्रणाली व मानव जीवन के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपकरण संस्थापित करेगा। ग्रिड के विफल होने पर, किसी व्यवधान पर या ग्रिड में किसी घटना के कारण संयंत्र या इसके सहायक उप स्टेशन या पारेषण लाईन को क्षति होने पर यह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(4) उत्पादक स्टेशन अपनी, उप स्टेशन की तथा इससे जुड़ी डेडिकेटेड पारेषण लाईनों की स्थापना, परिचालन, अनुरक्षण निम्नानुसार करेगा :–

(अ) विद्युत संयंत्रों के निर्माण, विद्युत लाइनें तथा ग्रिड के साथ संयोजकता हेतु तकनीकी मानक, प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार।

(ब) विद्युत संयंत्र व विद्युत लाईनों के निर्माण, परिचालन व अनुरक्षण हेतु सुरक्षा आवश्यकताएं, प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार।

(स) पारेषण लाईनों के परिचालन व अनुरक्षण हेतु ग्रिड मानक, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी या राज्य पारेषण युटिलिटी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अ नुसार।

(द) विद्युत आपूर्ति हेतु मीटर्स की संस्थापना के लिये शर्तें, प्राधिकारी या राज्य पारेषण–यूटिलिटी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार।

(5) उत्पादक संयंत्र, आदर्श ऊर्जा क्रय करार के अनुरूप अपने प्रवर्तन की तिथि से कम से कम 20 वर्ष के लिये, जिस क्षेत्र में संयंत्र अवस्थित है उस क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ एक ऊर्जा क्रय करार करेगा। इस करार के पक्ष आदर्श पीपीए में ऐसे संयंत्र/स्थल विशिष्ट परिवर्तन कर सकते हैं जो अधिनियम या इन विनियमों तथा अन्य संगत विनियमों से असंगत न हों। तथापि, ऐसे परिवर्तन आयोग के अनुमोदन के अधीन होंगे।

किंतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 3 माह के भीतर आदर्श पीपीए को प्रस्तावित कर आयोग से अनुमोदित कराना होगा।

(6) उपरोक्त विनियम 3 के उप विनियम (8) के तीसरे परंतुक मे उपबंधित के अतिरिक्त, अधिसूचना की तिथि पर विद्यमान, संयंत्र द्वारा हस्ताक्षरित सभी ऊर्जा क्रय करार, इन विनियमों के साथ किन्हीं असंगतियों को दूर करने के लिये नवीकृत किये जायेंगे तथा इस प्रकार नवीकृत पीपीए, ऐसे संयंत्रों के प्रवर्तन के वर्ष से न्यूनतम 20 वर्ष तक वैध रहेंगे।

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादक स्टेशन के साथ किये गये ऊर्जा क्रय करार के अनुमोदन हेतु एक आवेदन करेगा। यह आवेदन ऐसे प्रपत्र व ऐसे तरीके से होगा जैसा कि इन विनियमों में तथा समय समय पर आयोग द्वारा संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कार्य का संचालन) विनियम, 2004 में निर्धारित है।

(8) इन विनियमों के पालन के अधीन, उत्पादक संयंत्र, संसाधनों में मितव्ययी उपयोग, अच्छे प्रदर्शन तथा अधिकतम निवेश को सुनिश्चित करेगा।

(9) उत्पादक संयंत्र, विभिन्न गैर परंपरागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिये शुल्क निर्धारण हेतु समय समय पर आयोग द्वारा निर्धारित कोजेन संयंत्र के मामले में सहायक उपभोग, ताप दर, ईंधन खपत, क्षमता उपलब्धता तथा संयंत्र भार कारक इत्यादि जैसे ऊर्जा के किसी विशेष स्रोत पर लागू परिचालनात्यक मानदण्ड प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

9. उत्पादक संयंत्र का कर्त्तव्य भार

(1) उत्पादक संयंत्र :

(अ) लागत एवं दक्षता से संबंधित अध्ययन करने के लिए प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट उत्पादन तथा पारेषण से संबंधित तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ब) पिछले वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जून तक उत्पादन, पूर्ण की गयी मांग, क्षमता उपलब्धता, संयंत्र भार कारक, सहायक उपभोग, विशिष्ट ताप दर एवं विशिष्ट तेल खपत तथा आयोग द्वारा निर्देशित किसी अन्य जानकारी के संबंध में आयोग के समक्ष सूचना प्रस्तुत करेगा।

(स) निम्नलिखित के संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ समन्वय करेगाः—

(i) राज्य के भीतर या राज्य के बाहर विद्युत की अधिकतम अनुसूचना या प्रेषण, ग्रिड कोड या राज्य ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार एस.एल.डी.सी. द्वारा बनाई जाने वाली योजना के अनुसार होगा।

(ii) ग्रिड के माध्यम से पारेषित विद्युत की मात्रा के डाटा का विनिमय।

(iii) ग्रिड कोड एवं राज्य ग्रिड कोड के अनुरूप वास्तविक समय परिचालन एवं प्रेषण।

(iv) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ संचार एवं डाटा अन्तरण केन्द्र स्थापित करना।

(2) उत्पादक संयंत्र, समय—समय पर आयोग द्वारा निर्देशित विनिर्दिष्ट राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय फीस व प्रभार का भुगतान करेगा।

(3) उत्पादक संयंत्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इसको जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु दायित्वाधीन होगा, ऐसा न करने पर, संयंत्र, प्रत्येक ऐसे अवसर हेतु पांच लाख रूपए तक के अर्थदंड का जिम्मेदार होगा।

(4) विद्युत की गुणवत्ता के संबंध में या ग्रिड के संरक्षित, सुरक्षित व समग्र परिचालन या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किसी निर्देश के संबंध में विवाद की स्थिति में, मामले को न्याय निर्णयन हेतु आयोग को संदर्भित किया जाएगा।

(5) उत्पादक संयंत्र, समय–समय पर संशोधित ग्रिड कोड तथा राज्य ग्रिड कोड का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(6) उत्पादक संयंत्र को डेडिकेटेड पारेषण लाईन की स्थापना, परिचालन व अनुरक्षण हेतु अधिनियम के अधीन पारेषण लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, तथा उसे निम्नलिखित का अनुपालन करना होगाः–

(अ) ग्रिड संयोजकता के ग्रिड कोड तथा मानक,

(ब) विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक,

(स) संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) या क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर.एल.डी.सी.) के प्रणाली परिचालन के मानकों के अनुसार ऐसी डेडिकेटेड पारेषण लाईन की परिचालन की प्रणाली।

(7) उत्पादक संयंत्र, उत्पादक कंपनियों के लिए आयोग द्वारा निर्मित नियमों या विनियमों तथा जारी किये गये सामान्य या विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(8) उत्पादक संयंत्र, आयोग द्वारा अधिसूचित रूप में उपलब्धता आधारित शुल्क (ए.बी.टी.) दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा ऐसे दिशा–निर्देशों में उत्पादक कंपनी को सौंपे गये कार्यों, दायित्वों व कार्यभारों का निष्पादन करेगा।

(9) उत्पादक संयंत्र, अधिनियम के अधीन उपबंधित राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना एवं समन्वय के उद्‌देश्य हेतु राज्य पारेषण यूटिलिटी के साथ समन्वय करेगा।

10. ऊर्जा का विक्रय

(1) सभी कोजनरेशन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों को स्थानीय ग्रामीण ग्रिड या राज्य के भीतर किसी उपभोक्ता (बशर्ते कि उपभोक्ता को खुली पहुंच विनियमों के अधीन खुली पहुंच अनुमत है) या राज्य के बाहर किसी तीसरे पक्ष को, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दरों पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अपने स्वयं के उपयोग हेतु अपेक्षित क्षमता से अधिक ऊर्जा विक्रय करने की अनुमति होगी।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय हेतु शुल्क, इन विनियमों के, शुल्क के अध्याय–4, में निर्धारित किये अनुसार होगा।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, इन विनियमों तथा अन्य विनियमों व अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुरूप ऊर्जा क्रय करार करने के लिए उक्त संयंत्र द्वारा प्रस्ताव करने पर, इस करार पर ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दो माह के भीतर हस्ताक्षर किये जाएंगे, अन्यथा उत्पादक कंपनी उपयुक्त उपाय हेतु आयोग के समक्ष जाएगी।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा जैसे ही और जब अधिसूचना मिले, प्रतियोगी बोली के माध्यम से ऐसी क्षमता क्रय करेगा।

(5) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के होते हुए भी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रणाली में विस्तुत विफलता आने पर आपात सहायता की अपेक्षा कर सकता है। तकनीकी साध्यता के अधीन, अनुज्ञप्तिधारी के निवेदन पर, उत्पादक संयंत्र अपने उत्पादक स्टेशन से अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली तक ऊर्जा की आपूर्ति विस्तारित कर सकता है।

11. खुली पहुंच

(1) कोई व्यक्ति, जिसने संयंत्र का निर्माण किया है, पारेषण लाईनों या वितरण प्रणाली या ऐसी लाईनों या प्रणाली के साथ जुड़ी सुविधाओं का उपयोग कर, अपने संयंत्र से विद्युत ले जाने के लिए 'खुली पहुंच' का अधिकारी होगा तथा इस संबंध में इसके लिए आयोग द्वारा अधिसूचित नियम या विनियम संयंत्र पर लागू होंगेः

किन्तु 'खुली पहुंच' राज्य पारेषण यूटिलिटी व/या केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, यथास्थिति, द्वारा निर्धारित पारेषण/वितरण क्षमता की उपलब्धता के अधीन होगीः

साथ ही, अन्तर्राज्यिक पारेषण के मामले में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्मित नियम या विनियम लागू होंगेः

साथ ही यह भी कि, अधिशेष पारेषण/वितरण क्षमता की उपलब्धता के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो इस मामले का निर्णय व न्यायनिर्णय उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाएगा।

(2) 'खुली पहुंच' चाहने वाला संयंत्र, राज्य पारेषण यूटिलिटी व/या केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी व/या मध्यवर्ती पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष पहुंच करेगा जो कि पारेषण/व्हीलिंग क्षमता की उपलब्धता या अन्य परिचालनात्मक बाध्यताओं के अधीन निर्धारण करेगा तथा भेदभाव रहित 'खुली पहुंच' की अनुमति देगा।

अध्याय– 3

नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.)

12. योग्य व्यक्ति

(1) इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट 'न्यूनतम प्रतिशत', राज्य में सभी वर्तमान व भविष्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होगा जो योग्य व्यक्ति के रूप में संदर्भित किये जाएंगे।

13. आर.पी.ओ. प्रतिशत विनिर्देश

(1) प्रत्येक 'योग्य व्यक्ति' को निम्नलिखित विनिर्देशित प्रतिशत पर योग्य नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत प्राप्त करनी होगी

वर्ष	नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.)
2007–08	5 प्रतिशत
2008–09	5 प्रतिशत
2009–10	8 प्रतिशत
2010–11	9 प्रतिशत
2011–12	10 प्रतिशत

* ऊपर अनुबद्ध प्रतिशत आर.पी.ओ., 'नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के कोजनरेशन व उत्पादन' से क्रय की न्यूनतम मात्रा दर्शाती है।

(2) आयोग, एक बाद की तिथि पर, प्रतिशत क्रय की अधिकतम सीलिंग तय कर सकता है, यदि आयोग की दृष्टि में उपभोक्ता शुल्क पर नवीकरणीय के अनिवार्य क्रय का प्रभाव सीमित करने के लिए ऐसा समीचीन है।

(3) नये स्रोतों की संविदा करते समय या आयोग द्वारा अधिकतम सीलिंग विनिर्दिष्ट किये जाने पर, उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि को प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) आयोग, एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से क्रय की मात्रा की प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार या इससे कम अंतराल पर, जैसा भी आवश्यक हो, समीक्षा कर सकता है।

(5) इस आर.पी.ओ. संरचना के उद्‌देश्य से, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए उसके क्षेत्र में कुल खपत का अर्थ होगा, उसके आपूर्ति क्षेत्र के भीतर आपूर्ति के उद्‌देश्य से सभी स्रोतों से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय की गयी ऊर्जा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खुली पहुंच तथा कैप्टिव उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गयी ऊर्जा की मात्रा सम्मिलित है।

14. सभी प्रकार के आर.ई. स्रोतों की संतुलित संवृद्धि

(1) कुल प्रतिशत में किसी विशेष स्रोत या प्रौद्योगिकी के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम विशिष्ट प्रतिशतता नहीं होगी। तथापि, आयोग, बाद में किसी समय, प्रत्येक स्रोत की वास्तविक संवृद्धि या अन्य प्रभावकारी कारणों पर विचार करने के पश्चात् इसे सम्मिलित कर सकता है।

(2) यू.आर.ई.डी.ए. यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाएं राज्य में प्रारंभ की जाएं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी परियोजनाओं से निकासी सुनिश्चित करेगा जब तक कि आयोग द्वारा अधिकतम प्रतिशतता विनिर्दिष्ट न कर दी जाए।

15. सभी प्रकार के आर.ई. स्रोतों की संतुलित संवृद्धि

(1) आर.पी.ओ. के उद्देश्य से, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए उसके आपूर्ति क्षेत्र में कुल खपत का अर्थ होगा उसके आपूर्ति क्षेत्र के भीतर आपूर्ति के उद्देश्य से सभी स्रोतों से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय की गयी ऊर्जा।

(2) बाहरी उपभोक्ताओं या अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य विद्युत के किसी परस्पर विक्रय को छोड़कर खुदरा उपभोक्ताओं को ऊर्जा आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय की गयी कुल ऊर्जा यूनिटों पर आर.पी.ओ. लागू होगा।

(3) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वर्ष के लिए ए.आर.आर. फाइलिंग में आगामी वर्ष हेतु ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से क्रय की प्रस्तावित मात्रा इंगित करेगा। क्रय की प्रस्तावित मात्रा इन विनियमों के अनुसार होगी।

(4) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से विद्युत के कोजनरेशन व उत्पादन से क्रय की प्रस्तावित मात्रा इंगित करते समय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी उन स्रोतों को इंगित करेगा जिनसे वह क्रय विनिर्दिष्ट मात्रा क्रय की योजना बना रहा है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जहां तक संभव हो, अपने आपूर्ति क्षेत्र के भीतर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से विद्युत की प्रस्तावित मात्रा प्राप्त करेगा। यदि स्थिति ऐसी हो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र के भीतर अपेक्षित मात्रा क्रय करने में असमर्थ है तो वह अपने आपूर्ति क्षेत्र के बाहर के स्रोतों से जो राज्य भीतर हों, अपने स्वयं के उत्पादन द्वारा या आर.इ. विकासक ऊर्जा प्राप्त कर या अन्य अनुज्ञप्तिधारी से क्रय कर सकता है बशर्ते कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी ने लागू आर.पी.ओ. के अनुसार अपने न्यूनतम प्रतिशतता आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर ली हो।

(5) आयोग, संबंधित योग्य व्यक्ति के निवेदन पर, जो कि आयोग की राय में स्वीकार्य हो, आपूर्ति बाध्यताओं या किसी अन्य अनियंत्रणीय कारण के अधीन, वर्ष के उपरोक्त न्यूनतम लक्ष्यों में शिथिलता प्रदान कर सकता है।

16. प्रवर्तन

(1) योग्य व्यक्तियों को इन विनियमों में अनुबंधित किये अनुसार अपने आर.पी.ओ. दायित्वों का अनुपालन करना होगा। योग्य व्यक्तियों द्वारा आर.ई. वसूली में कमी को अपालन माना जाएगा तथा विद्युत अधिनियम 2003 के उपयुक्त उपबंधों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही का कारण होगा।

(2) यू.आर.ई.डी.ए., योग्य व्यक्तियों की अनुपालन में विफलता की ऐसी घटना की रिपोर्ट आयोग को करेगा।

अध्याय–4

शुल्क

17. शुल्क की अनुप्रयोज्यता

(1) शुल्क, जैसा कि इन विनियमों में निर्धारित किया गया है, राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उत्पादक स्टेशन द्वारा विद्युत के विक्रय हेतु अनुप्रयोज्य है। एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को योग्य स्रोत द्वारा विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क, इन विनियमों की अनुसूची–1 के अनुसार होगा।

(2) शुल्क एकल भागीय (रू0/के.डब्ल्यू.एच. में) व एक्स बस है अर्थात् उत्पादक स्विचयार्ड की आउटगोइंग बसबार पर सहायक उपभोग व परिवर्तन हानियों के पश्चात् (अर्थात् निष्क्रमण लाईन के उत्पादक स्टेशन छोर पर उपस्टेशन से आउटगोइंग बसबार)

(3) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट नवीकरणीय स्रोत के प्रकार तथा नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के प्रत्येक प्रकार हेतु शुल्क से निर्धारित किया गया है।

(4) अन्य गैर परंपरागत तथा नवीकरणीय स्रोत व/या प्रौद्योगिकियां, जो इन विनियमों में सम्मिलित नहीं हैं, उनके लिए शुल्क प्रत्येक मामले में अलग–अलग निर्धारित किया जाएगा जहां आयोग, जहां तक संभव हो, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के को जनरेशन व उत्पादन हेतु शुल्क की शर्तों व निबंधनों पर निर्धारण करते समय, सी.ई.आर.सी., राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं शुल्क नीति द्वारा यदि कोई सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट गयी हो, से दिशा–निर्देश लेगा। आयोग, उपयोग की गयी प्रौद्योगिकी तथा नवीकरणीय स्रोतों की विशिष्ट प्रकृति के साथ सामंजस्य हेतु, लिखित में कारण दे कर उपरोक्त से विचलित हो सकता है।

(5) शुल्क निर्धारित करते समय आयोग ने, जहां तक संभव हो, प्रत्येक प्रकार के नवीकरणीय स्रोत की प्रौद्योगिकी, ईंधन, बाजार से जोखिम तथा पर्यावरणीय लाभों के आधार पर छूट प्रदान की है।

(6) प्रत्येक प्रकार के स्रोत हेतु शुल्क, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रतिमानकों के अनुसार प्रतिमानक मानदण्ड पर आधारित है।

(7) शुल्क के मानकीय होने के कारण, निष्पादन या अन्य कारणों से कमी, उत्पादक द्वारा वहन या प्रतिधारित की जाएगी तथा किसी भी कारण से अतिरिक्त पूंजीकरण सहित किसी मानदण्ड में परिवर्तन, शुल्क की वैधता की अवधि में नहीं किया जाएगा।

(8) इन विनियमों के अधीन उत्पादक स्टेशन के संबंध में शुल्क संपूर्ण उत्पादक स्टेशन के लिए लागू होगा।

किन्तु विभिन्न वर्षों में प्रवर्तित एक से अधिक यूनिट वाले संयंत्र से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क, विभिन्न वर्षों में प्रवर्तित यूनिटों की क्षमताओं के भारित औसत पर आधारित होगा।

(9) यूनिट के एक कालन तथा प्रवर्तन की अवधि के मध्य विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क, खोई/बायोमास आधारित कोजनरेशन के आधार पर होगा तथापि, हाइडिल संयंत्रों व ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत व नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित संयंत्रों के मामले में, यूनिट के एक कालन व प्रवर्तन की अवधि के मध्य विद्युत आपूर्ति हेतु शुल्क, शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर होगा।

टिप्पणीः–ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत स्रोतों में, साथ–साथ, वायु से उत्पादन, सौर, नगरीय अपशिष्ट, ठोस, अर्द्वठोस, द्रव्य व गैस सहित औद्योगिक अपशिष्ट तथा बायोगैस सम्मिलित होगा।

18. परिचालक के प्रतिमानक

(1) परिचालक के प्रतिमानक निम्नलिखित होंगेः–

(अ) पूर्ण स्थिर प्रभारों की वसूली के लिए मानकीय पी.एल.एफ.

(i)	एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक)	45 प्रतिशत
(ii)	खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं	45 प्रतिशत
(iii)	बायोमास परियोजनाएं	75 प्रतिशत
(iv)	वायु परियोजनाएं	20 प्रतिशत

(ब) परिवर्तन हानि सहित मानकीय सहायक उपभोग

(i)	एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक)	01 प्रतिशत
(ii)	खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं	8.5 प्रतिशत
(iii)	बायोमास परियोजनाएं	10 प्रतिशत
(iv)	वायु परियोजनाएं	0.5 प्रतिशत

(स) मानकीय कुल स्टेशन ताप दर (जी.एस.एच.आर.एन.) सी.ए.एल./के.डब्ल्यू.एच. में

(i)	एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक)	लागू नहीं

(ii)	खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं	3300
(iii)	बायोमास परियोजनाएं	4200
(iv)	वायु परियोजनाएं	लागू नहीं

(द) ईंधन का मानकीय कैलोरिफिक मूल्य, जी.सी.वी.एन. (के.सी.ए.एल. / के.जी.)

(i)	एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक)	लागू नहीं
(ii)	खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं	2275
(iii)	बायोमास परियोजनाएं	3300
(iv)	वायु परियोजनाएं	लागू नहीं

(य) मानकीय ईंधन खपत, क्यू.एन., (के.जी. / के.डब्ल्यू.एच.)

(i)	एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक)	लागू नहीं
(ii)	खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं	1.45
(iii)	बायोमास परियोजनाएं	1.27
(iv)	वायु परियोजनाएं	लागू नहीं

(र) मानकीय ईंधन कीमत, पी0बी0 (रू0 / के.जी.)

(i) एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक) — लागू नहीं

(ii) खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं तथा बायोमास परियोजनाएं

ईंधन की लागत (रू0 / के.जी.) सी.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित मानदण्ड पर उत्तरी क्षेत्र में रिहंद II कोयला आधारित पिट हैड हेतु निम्नलिखित फॉर्मूले द्वारा निर्धारित कर निकाला

ईंधन की लागत (रू0 के0जी0)

$$\text{पी.बी.} = \frac{(100) - AUXc)xGCVNxRECc}{100GSHRC}$$

जहां,,

GSHR	=	कोयला आधारित संयंत्र के लिए GSHR (मानकीय) (kCal/kWa)
REC	=	कोयला आधारित संयंत्र में AUXc (एक्स बस) के पश्चात् विद्युत प्रभार की दर (रू0 / के.डब्ल्यू.एच.)
AUXc	=	कोयता आधारित संयंत्र में सहायक उपभोग (मानकीय) (%)
GCVn	=	आर.ई. ईंधन का मानकीय कुल कैलोरिफिक मूल्य।

(iii) वायु परियोजनाएं — लागू नहीं

19. पूंजी लागत

(1) आधार वर्ष 2007–08 में प्रवर्तित परियोजनाओं के लिए प्राप्तकर्ता के छोर पर पारेषण लाईन व बेज की लागत सहित मानकीय पूंजी लागत (रू. करोड़/एम.डब्ल्यू.) निम्नप्रकार होगीः–

	वाणिज्यिक परिचालन की तिथि	01.04.2007 से पूर्व	01.04.2007 से या बाद में
i.	एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक)	5.50	6.00
ii.	खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं	3.50	3.75
iii.	बायोमास परियोजनाएं	–	4.25
iv.	वायु परियोजनाएं	–	4.50

(2) मानकीय मानदण्ड पर निर्धारित शुल्क की वैधता की अवधि में किसी अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) अवक्षय के उद्देश्य से पूंजी लागत में से पूंजी सहायिकी कम नहीं की जाएगी। तथापि, उत्पादक को उसे उपलब्ध अवक्षय के माध्यम से कोई नवीयन या बदलाव या अतिरिक्त पूंजीकरण कार्य कराना होगा।

20. ऋण इक्विटी अनुपात

(1) सभी आर.ई. परियोजनाओं के मामले में, वाणिज्यिक परिचालन की तिथि पर, शुल्क निर्धारण हेतु ऋण–इक्विटी अनुपात 70:30 होगा।

किंतु एम.एन.आर.ई. से उपलब्ध सहायिकी को, ऋण के पूर्व भुगतान हेतु उपयोग किया समझा जाएगा व बाकी बचे ऋण व 30 प्रतिशत इक्विटी को शुल्क निर्धारण हेतु समझा जाएगा।

साथ ही यह भी समझा जाएगा कि इस पूर्व भुगतान के द्वारा मूल चुकौती प्रभावित नहीं होगी।

(2) प्रत्येक साल के लिए, एम.एन.आर.ई. की वर्तमान नीति के अनुसार सहायिकी के निम्नलिखित स्तर पर विचार किया जाएगाः

(i) एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक) रू0 2.25 x (एम.डब्ल्यू.)$^{0.645}$ करोड़

(ii) निजी क्षेत्र के अधीन खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं

रू0 18x(एम.डब्ल्यू.)$^{0.645}$ लाख

संयुक्त/सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं

40 बार रू0 40 लाख/एम.डब्ल्यू. (अधिकतम 8 करोड़)

50 बार रू0 50 लाख/एम.डब्ल्यू. (अधिकतम 8 करोड़)

60 बार रू0 60 लाख/एम.डब्ल्यू. (अधिकतम 8 करोड़)

(iii)	बायोमास परियोजनाएं	रू0 25 x $(\text{एम.डब्ल्यू.})^{0.645}$ लाख
	बायोमास परियोजनाएं (उन्नत प्रौद्योगिकी)	रू0 1.25 x $(\text{एम.डब्ल्यू.})^{0.645}$ करोड़
(iv)	वायु परियोजनाएं	रू0 0.25 x $(\text{एम.डब्ल्यू.})^{0.645}$ करोड़

21. वार्षिक स्थिर प्रभार

(1) वार्षिक स्थिर प्रभारों में सम्मिलित हैः

- (अ) ऋण पूंजी पर ब्याज
- (ब) अवक्षय
- (स) इक्विटी पर वापसी
- (द) परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय
- (य) कामकाज पूंजी पर ब्याज
- (र) आय पर कर

22. ऋण पूंजी पर ब्याज

(1) ऋण पूंजी पर ब्याज 01.04.2007 पर दीर्घावधि ऋण हेतु एस.बी.आई. की पी.एल.आर. पर गिना जाएगा, जो कि 11.25 प्रतिशत है।

(2) एक वित्तीय वर्ष के लिए अथ व अंत बकाया ऋण, प्रवर्तन पर कुल ऋण में से मूल चुकौती अनुसूची के अनुसार संचयी चुकौती घटाकर निकाला जाएगा।

(3) चुकौती की मूल अवधि 10 वर्ष ली जाएगी।

(4) एक वर्ष के लिए अथ व अंत ऋण का औसत, उस वर्ष के लिए ऋण दायित्व निकालने के लिए लिया जाएगा।

23. अतिरिक्त रूपया देयता

किसी विदेशी ऋण के तदनुरूप ऋण के भुगतान व ऋण चुकौती हेतु कोई अतिरिक्त रूपया देयता, शुल्क की वैधता के दौरान किसी वर्ष में अनुमन्य नहीं होगी।

24. अवक्षय

(1) शुल्क के उद्देश्य से अवक्षय की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः

- (अ) अवक्षय के उद्देश्य से मूल्य आधार, मानकीय पूंजी लागत होगी।
- (ब) अवक्षय हेतु परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के ऊपर ''स्ट्रेट लाइन मैथड'' पर आधारित गणना वार्षिक रूप से की जाएगी। परिसंपत्ति का अवशिष्ट जीवनकाल 10

प्रतिशत माना जाएगा तथा परिसंपत्ति की ऐतिहासिक पूंजी लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अवक्षय अनुमत किया जाएगा।

(2) आर.ई. स्रोतों के लिए निम्नलिखित जीवनकाल माने जाएंगेः

(i)	एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक)	40 वर्ष
(ii)	खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं	20 वर्ष
(iii)	बायोमास परियोजनाएं	20 वर्ष
(iv)	वायु परियोजनाएं	20 वर्ष

(3) शुल्क को कई वर्षों के लिए स्तरवार बनाया जा रहा है, अतः अवक्षय के सापेक्ष अग्रिम पर विचार नहीं किया जाएगा।

25. इक्विटी पर वापसी

विनियम 20 के अनुसार इक्विटी पर वापसी की गणना इक्विटी के आधार पर 14 % प्रतिवर्ष के पर की जायेगी।

26. परिचालन व अनुरक्षण व्यय

आधार परिचालन व अनुरक्षण व्यय, प्रवर्तन के वर्ष में, मानकीय पूंजी लागत की प्रतिशतता के रूप में तय किये जाएंगे तथा आगामी वर्षों के लिए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक स्वतः वृद्धि के अधीन होंगे।

(i)	एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक)	
	5 एम.डब्ल्यू. तक	5.00 प्रतिशत
	5 से 10 एम.डब्ल्यू. तक	4.75 प्रतिशत
	10 से 15 एम.डब्ल्यू. तक	4.50 प्रतिशत
	15 से 20 एम.डब्ल्यू. तक	4.25 प्रतिशत
	20 से 25 एम.डब्ल्यू. तक	4.00 प्रतिशत
(ii)	खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं	3.5 प्रतिशत
(iii)	बायोमास परियोजनाएं	4 प्रतिशत
(iv)	वायु परियोजनाएं	1.5 प्रतिशत

27. कामकाज पूंजी पर ब्याज

(1) कामकाज पूंजी में सम्मिलित होगाः—

(अ) एक माह के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय,

(ब) वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऐतिहासिक लागत में स्वतः वृद्धि के 1 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स

(स) नीचे दर्शाए अनुसार एक अवधि (माह) हेतु ईंधन भंडार

(i)	एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक)	कुछ नहीं
(ii)	खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं	1.5
(iii)	बायोमास परियोजनाएं	1.5
(iv)	वायु परियोजनाएं	कुछ नहीं

(2) कामकाज पूंजी पर ब्याज की दर, 01.04.2007 पर भारतीय स्टेट बैंक की लघु अवधि प्राईम लेंडिंग दर होगी, जो कि 12.25 प्रतिशत है।

28. आय पर कर

इक्विटी पर वापसी पर उदग्रहणीय अधिकतम कर के अधीन अपने मुख्य कारोबार से उत्पादक कंपनी के आय के स्रोतों पर कर की गणना एक व्यय के रूप में की गयी है तथा इसे वास्तविक कर दायित्व पर विचार किये बिना इक्विटी पर वापसी पर सकल कर के रूप में मानकीय आधार पर शुल्क में निगमित किया जाएगा। इस उद्देश्य से प्रथम 10 वर्षों के लिए एम.ए.टी. पर तथा उसके आगे सामान्य कर दरों पर विचार किया गया है।

29. शुल्क

(1) शुल्क (रू0/के.डब्ल्यू.एच.), स्थिर प्रभार की दर तथा उसी वर्ष के लिए ऊर्जा प्रभार की दर का योग होगा।

(2) स्थिर प्रभार की दर (आर.ई.सी.), वार्षिक स्थिर प्रभार को उस वर्ष की क्रय योग्य ऊर्जा से विभाजित कर निकाली जाएगी।

(3) ऊर्जा प्रभार की दर (आर.ई.सी.) (रू0/के.डब्ल्यू.एच.), विद्युत के एक के.डब्ल्यू.एच. एक्स बस प्रेषित करने के लिए आवश्यक आर.ई. ईंधन की मानकीय मात्रा की लागत है तथा इसकी गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः–

$$\text{REC (Rs./KWa)} = \frac{100xPbxQn}{(100 - AUXn)}$$

जहां,,

Pb	=	रू0 के.जी. में आर.ई. ईंधन की लागत
Qn	=	के.जी./के.डब्ल्यू.एच. में मानकीय आर.ई. ईंधन खपत
तथा AUXn	=	आर.ई. स्रोत स्टेशन के लिए मानकीय सहायक उपभोग

(4) (रू0 के.डब्ल्यू.एच.) में ऊर्जा प्रभार की दर (आर.ई.सी.) निम्नलिखित रूप से अस्थाई रूप से ली गयी होगीः–

(i)	एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू. तक)	लागू नहीं
(ii)	खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं	1.32
(iii)	बायोमास परियोजनाएं	1.71
(iv)	वायु परियोजनाएं	लागू नहीं

(5) ईंधन प्रभार की दर ईंधन की कीमत के समायोजन के अधीन होगी यदि किसी विशेष माह के लिए रिहंद II स्टेशन के लिए वास्तविक आर.ई.सी. (एफ.पी.ए. यदि कोई है, सहित) के आधार पर उपरोक्त अस्थायी दर, पहले दिये गये फॉर्मूले से गणना की गयी आर.ई.सी. से भिन्न है।

30. जीवनकाल तथा सहमति अवधि

(1) वायु/बायोमास। खोई परियोजनाओं का जीवनकाल व पी.पी.ए. अवधि 20 वर्ष होगी। तथापि एस.एच.पीज के लिए जीवनकाल 40 वर्ष व पी.पी.ए. अवधि 30 वर्ष होगी। पी.पी.ए. की अवधि समाप्त होने पर,क्रय का पहला अधिकार वितरण अनुज्ञप्तिधारी का होगा।

31. स्तरीकृत आर.एफ.सी.

(1) आर.एफ.सी. (रू0 के.डब्ल्यू.एच.), परियोजना के जीवनकाल में प्रत्येक वर्ष के लिए स्थिर प्रभार की दर को स्तरीकृत कर निकाला जाएगा।
किन्तु आयोग, विभिन्न क्षमताओं के संयंत्रों के लिए शुल्क को 5 पैसे के गुणक में पूर्णांकित कर सकता है।

(2) स्तरीकृत करने के लिए ली गयी छूट की दर 17.7 प्रतिशत होगी।

(3) तदनुसार निकाली गयी स्तरीकृत आर.एफ.सी. अनुसूची 1 में दी गयी है।

32. मानकीय पी0एल0एफ0 से अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

संपूर्ण स्थिर लागत वसूल हो जाने पर मानकीय पी.एल.एफ. से अधिक उत्पादन के लिए शुल्क, अनुसूची 1 में दिये गये सामान्य शुल्क पर वसूल करने की अनुमति होगी।

33. प्रतिमानकों से विचलन

(1) उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत के विक्रय हेतु शुल्क भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रतिमानकों से विचलन में आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगाः

(अ) परिसंपत्ति के संपूर्ण जीवनकाल में विद्युत का पूर्ण प्रतियूनिट शुल्क जिसकी विचलन में प्रतिमानकों के आधार पर गणना की गयी है, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर गणना किये प्रति यूनिट शुल्क से अधिक न हो।

(ब) प्रमाणिक व उपयुक्त मामलों में, आयोग, उसके द्वारा उचित समझी गयी सीमा तक उपरोक्त शर्तों में शिथिलता प्रदान कर सकता है।

(स) ऐसा कोई विचलन, केवल आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

34. आर.ई. स्रोतों पर ए.बी.टी. की अनुप्रयोज्यता

क्योंकि आर.ई. स्रोत प्रकृति के स्वभाव पर निर्भर करते हैं तथा लघु क्षमता में हैं अतः जब कभी आयोग द्वारा ए.बी.टी. शासन प्रारंभ किया जाएगा यह ऐसे स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति हेतु लागू नहीं होगा।

35. योग्यता क्रम प्रेषण

सभी आर.ई. स्रोतों को योग्य क्रम प्रेषण सिद्धांत से छूट प्राप्त होगी तथा उनकी ऊर्जा इन स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु सदैव वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय की जाएगी।

36. सी.डी.एम. लाभ

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऊर्जा विक्रय करने वाले आर.ई. स्रोतों को सी.डी.एम. जमा से प्राप्त संपूर्ण लाभ, यदि कोई हैं, रखने की अनुमति होगी।

37. छूट

प्रस्तुत होने पर प्रत्यय पत्र के माध्यम से बिलों के भुगतान हेतु 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। यदि प्रत्यय पत्र के माध्यम को छोड़कर कोई दूसरा माध्यम अपनाया जाता है, किन्तु यह उत्पादक कंपनी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के एक माह की अवधि के भीतर हो तो 1 प्रतिशत की छूट अनुमत होगी।

38. विलंब भुगतान अधिभार

यदि बिलिंग की तिथि से एक माह की अवधि से अधिक की देरी बिलों के भुगतान में होती है तो उत्पादक कंपनी द्वारा 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंब भुगतान अधिभार उद्ग्रहित किया जाएगा।

अध्याय–5

अन्य निबंधन व शर्तें

39. पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार तथा हानियां

(1) उपयोग के गंतव्य तक संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत को ले जाने के लिए राज्य व/या अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली व/या मध्यवर्ती पारेषण सुविधा व/या वितरण प्रणाली पर भेदभाव रहित ''खुली पहुंच'' चाहने वाले संयंत्र में, पारेषण प्रभार व व्हीलिंग प्रभार जो उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित होंगे, का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत आयात करने वाले उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।

(2) खुली पहुंच के लिए राज्य पारेषण प्रणाली (अर्थात् इन्जैक्शन या ड्रावल या दोनों 33 के0वी0 से अधिक वोल्टेज पर हैं) के उपयोग हेतु पारेषण प्रभार, इन्जेक्शन व ड्रावल (दूरी व वोल्टेज स्तर पर विचार किये बिना) के बिन्दु पर विचार किये बिना अन्तःक्षेपित की गयी ऊर्जा का 5 प्रतिशत की दर से वस्तुरूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त, वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु व्हीलिंग प्रभार भी, दूरी व वोल्टेज का विचार किये बिना अन्तःक्षेपित ऊर्जा का 5 प्रतिशत की दर से वस्तुरूप में संदेय होगा, यदि वितरण प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है, अर्थात् इन्जेक्शन या ड्रावल या दोनों 33 या उससे कम वोल्टेज पर हैं।

परन्तु, किसी अनुज्ञप्तिधारी या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विद्युत के विक्रय हेतु कोई पारेषण या विद्युत प्रभार संदेय नहीं है।

(3) पारेषण व व्हीलिंग प्रभार के अतिरिक्त, अन्तःक्षेपित पारेषण व वितरण प्रणाली में हानियां, निम्नानुसार इन्जैक्शन व ड्रावल बिंदुओं के वोल्टेज स्तर पर निर्भर करते हुए अन्तः क्षेपित ऊर्जा की निम्नलिखित प्रतिशतता पर वस्तुरूप में संदेय होंगीः–

	ड्रावल का बिन्दु	
इन्जैक्शन का बिन्दु	33 के0वी0 से नीचे	33 के0वी0 व उससे ऊपर
33 के0वी0 से नीचे	15 प्रतिशत	10 प्रतिशत
33 के0वी0 व उससे ऊपर	10 प्रतिशत	5 प्रतिशत

परन्तु, अनुज्ञप्तिधारी या स्थानीय ग्रिड को विद्युत के विक्रय हेतु कोई हानियां संदेय नहीं होंगी।

40. अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार

(1) ऐसा व्यक्ति, जो एक संयंत्र की स्थापना कर चुका हो, उसके द्वारा खुली पहुंच हेतु कोई प्रति सहायिकी अधिभार संदेय नहीं होगा। यदि वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए ऊर्जा के उपभोग हेतु गंतव्य तक अपने संयंत्र से विद्युत के पारेषण/व्हीलिंग हेतु खुली पहुंच चाहता है।

(2) अतिरिक्त अधिभार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा/करार में परिबंधन की शेष अवधि, यदि कोई है, हेतु सुसंगत उपभोक्ता श्रेणी के लिए मांग प्रभारों की समानक दर पर खुली पहुंच का उपयोग कर रहे सभी उपभोक्ताओं द्वारा संदेय होंगे।

(3) प्रतिसहायिकी अधिभार राज्य के भीतर ऐसे उपभोक्ता द्वारा संदेय होगा जिसे खुली पहुंच अनुमत है तथा जो शुल्क नीति में दिये गये फॉर्मूले के अनुसार समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर राज्य के भीतर या बाहर किसी स्रोत (कैप्टिव स्रोत के अलावा) से आपूर्ति प्राप्त करता है। वर्ष 2007–08 व 2008–09 के लिए प्रति सहायिकी अधिभार शून्य होगा।

41. संयंत्र/स्टार्ट अप ऊर्जा द्वारा विद्युत का क्रय

कोई व्यक्ति, जो एक उत्पादक स्टेशन स्थापित करता है, उसका अनुरक्षण करता है तथा उसका परिचालन करता है तथा जिसे सामान्यतः वर्ष भर अनुज्ञप्तिधारी से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, एक उत्पादक कंपनी से या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत क्रय कर सकता है, यदि अपने स्वयं के उपयोग या स्टार्टअप की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसका संयंत्र विद्युत उत्पादन की स्थिति में नहीं है तथा फलस्वरूप वितरण अनुज्ञप्तिधारी से ऊर्जा लेनी आवश्यक है।

परन्तु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत का ऐसा क्रय, उपयुक्त 'शुल्क की दर अनुसूची' के अधीन अस्थायी आपूर्ति हेतु आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्रभारित किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत संयंत्र की कुल भार आवश्यकता आती है।

साथ ही, एक व्यापारी या उत्पादक कंपनी के माध्यम से ऊर्जा क्रय किये जाने पर दर, परस्पर सहमति के अनुसार होगी। तथापि, पारेषण व व्हीलिंग प्रभार, आयोग द्वारा निर्धारित किये अनुसार संदेय होगा।

42. ऊर्जा का निष्क्रमण

(1) उत्पादक संयंत्र, नीचे दी गयी वोल्टेज की क्षमता के अनुसार समीपस्थ 132 के0वी0 उपस्टेशन पर समाप्त होने वाली 33 के0वी0 या उससे उच्च वोल्टेज लाईन के माध्यम से अपने क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऊर्जा की आपूर्ति करेगाः

(i) एल.टी. पर 100 के.डब्ल्यू. तक

(ii) 100 के.डब्ल्यू. से ऊपर तथा 11 के0वी0 पर 1 एम.डब्ल्यू. तक

(iii) 1 एम.डब्ल्यू. से ऊपर तथा 33 के0वी0 पर 10 एम.डब्ल्यू. तक

(iv) 132 के0वी0 पर 10 एम.डब्ल्यू. से ऊपर या अधिक

परन्तु, विद्यमान संयंत्रों के मामलों में, संयोजकता वही होगी जो कि इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि पर विद्यमान हो। साथ ही, ऐसे संयंत्रों के मामले में जहां संयोजकता हेतु योजना पहले ही अनुमोदित हो चुकी है तथा इसका प्रवर्तन इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि के पश्चात् हुआ है वहां संयोजकता अनुमोदित योजना के अनुसार अनुमत होगी। साथ ही यह भी कि, वायु, सौर, जल, नगरीय अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट (ठोस, अर्द्धठोस, तरल व गैसीय अपशिष्ट सहित) तथा बायोगैस जैसे खोई आधारित कोजनरेशन से इतर गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन के मामले में आयोग, 11 के0वी0 पर ऊर्जा का निष्क्रमण अनुमत कर सकता है।

(2) उपस्टेशन तक लाईन बिछाने, आवश्यक बे, टर्मिनल उपस्कर तथा सहायक सिंक्रोनाइजेशन उपस्कर की लागत, उत्पादक स्टेशन द्वारा वहन की जाएगी तथा ऐसा कार्य, जिस क्षेत्र में संयंत्र अवस्थित है, उस क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। शुल्क की गणना के लिए भी ऐसा ही किया गया है। तथापि पर्यवेक्षक प्रभार, श्रम लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

परन्तु, 132 के0वी0 या इससे उच्च वोल्टेज पर पारेषण हेतु ऊर्जा निष्क्रमण प्रणाली का निर्माण, राज्य पारेषण यूटिलिटी के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा।

साथ ही, बे को विस्तारित करने के लिए भूमि उपस्टेशन स्वामी द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

यदि उत्पादक कंपनी, एस.टी.यू./वितरण अनुज्ञप्तिधारी से इतर किसी अन्य द्वारा डेडीकेटेड पारेषण लाईन का निर्माण कराने का विकल्प चुनती है तो पर्यवेक्षण प्रभार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एस.टी.यू., यथास्थिति, को संदेय होंगे।

43. पारेषण लाईनों व उपस्कर का अनुरक्षण

(1) उत्पादक छोर पर टर्मिनल उपस्कर तथा डेडीकेटेड पारेषण लाईनों के अनुरक्षण के लिए उत्पादक स्टेशन उत्तरदायी होगा तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एस.टी.यू. यथास्थिति, डेडिकेटेड पारेषण लाईन का अनुरक्षण करेगा, यदि परस्पर सहमत प्रभार पर उत्पादक कंपनी ऐसा चाहे।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण यूटिलिटी, यथास्थिति, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के उपस्टेशन पर टर्मिनल उपस्कर (रों) के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होगा। परिचालन व अनुरक्षण लागत को, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण यूटिलिटी, यथास्थिति, के व्हीलिंग तथा पारेषण प्रभार निर्धारित करते समय आयोग द्वारा पास थ्रू के रूप में माना जाएगा।

(3) यदि उत्पादक कंपनी, परियोजना के संपूर्ण जीवन काल हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऊर्जा विक्रय करने के लिए सहमत होती है तो वितरण/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाईन के अनुरक्षण हेतु कोई अनुरक्षण प्रभार संदेय नहीं होगा।

44. मीटरिंग व्यवस्था

(4) उत्पादक कंपनी, इनजैक्शन के बिन्दु पर तथा ड्रावल के बिन्दु पर ए.बी.टी. अनुकूल विशेष ऊर्जा मीटर प्रदान करेगी तथा राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा अधिसूचित सभी मीटरिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

45. ऊर्जा लेखाकरण एवं बिलिंग

(1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, ऊर्जा लेखाकरण व बिलिंग करेगा तथा राज्य ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार एस.एल.डी.सी. द्वारा संरचित योजना के अनुसार ग्रिड के साथ परस्पर संवाद कर रही यूटिलिटी को इसे संसूचित किया जाएगा।

परन्तु, क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय के मामले में, ऊर्जा क्रय करार, संयुक्त मीटरिंग उपबंधित कर सकता है तथा ऐसे मामलों में, ऊर्जा लेखाकरण तथा बिलिंग, संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ मिलकर उत्पादक संयंत्र द्वारा किया जाएगा।

46. ऊर्जा की बैंकिंग

(1) उत्पादक संयंत्र, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, आपातकाल या संयंत्र के बंद होने या उसके अनुरक्षण की स्थिति में बैंकीकृत ऊर्जा की निकासी के उद्देश्य से एक कैलेण्डर माह की अवधि के भीतर ऊर्जा की बैंकिंग के लिए अनुमत होंगे:

(अ) संयंत्र तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य सहमति के अनुसार 100 प्रतिशत तक ऊर्जा की बैंकिंग 17:00 से 22:00 बजे तक (इस उद्देश्य हेतु व्यस्त समय रूप में विनिर्दिष्ट) की अवधि में अनुमत होगी।

(ब) ऊर्जा की निकासी केवल 17:00 से 22:00 बजे से इतर अन्य अवधि में ही अनुमत होगी।

(स) संयंत्र ए.बी.टी. अनुकूल विशेष ऊर्जा मीटर उपलब्ध कराएगा तथा ऊर्जा विक्रय का मासिक निपटान, एस.ई.एम. मीटर रीडिंग के अनुसार व्यस्त समय की अवधि में आपूर्ति की गयी ऊर्जा पर आधारित कर किया जाएगा तथा बैंकीकृत ऊर्जा माना जाएगा तथा संयंत्र द्वारा आपूर्ति की गयी शेष ऊर्जा के लिए मासिक निपटान, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत की आपूर्ति हेतु विनिर्दिष्ट दर पर किया जाएगा।

(द) उत्तर–प्रदेश में, राज्य के भीतर ए.बी.टी. प्रारंभ होने पर बैंकीकृत ऊर्जा की बैंकिंग तथा निकासी अगले बिल की अनुसूची के अधीन होगी।

(य) एस.ई.एम. रीडिंग्स द्वारा अभिनिश्चित संयंत्र द्वारा निकासी की गयी ऊर्जा, जो बैंकीकृत ऊर्जा से निकास के रूप में नहीं मानी गयी, उसे संयंत्र द्वारा क्रय की गयी ऊर्जा माना जाएगा।

(र) खण्ड (य) के अधीन या अन्यथा इन संयंत्रों द्वारा क्रय की गयी ऊर्जा, उत्पादक द्वारा घोषित भार के तदनुरूप खुदरा शुल्क को अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर ऊर्जा व अधिकतम अभिलिखित मांग पर प्रभारित की जाएगी। ऐसे उत्पादनों पर कोई न्यूनतम खपत गारंटी या अन्य प्रभार नहीं लगाए जाएंगे। घोषित भार से ऊपर अतिरिक्त भार, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क की सुसंगत अनुसूची के उपबंधों के अनुसार बिल किया जाएगा। यह केवल उन उत्पादकों पर लागू होगा जिन्होंने अनुज्ञप्तिधारी के साथ पी. पी.ए. के अधीन ऊर्जा की आपूर्ति का प्रवर्तन किया है।

(ल) एक उत्पादक संयंत्र को, किसी विशेष वित्तीय वर्ष की अवधि में बैंक की गयी ऊर्जा को उसी वर्ष या अगले वित्त वर्ष में निकासी की अनुमति होगी।

(व) आने वाले वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपयोग न की जा सकी शेष बैंकीकृत ऊर्जा को विक्रय माना जाएगा तथा वित्तीय निपटान अनुसूचित शुल्क पर उस वर्ष हेतु किया जाएगा जिस वर्ष में ऊर्जा बैंक की गयी थी। ऐसी उपयोग न की गयी बैंकीकृत ऊर्जा से कोई बैंकिंग प्रभार की कटौती नहीं की जाएगी।

(श) बैंकिंग प्रभार, बैंक की गयी ऊर्जा का 12.5 प्रतिशत होगा।

अध्याय–6

प्रकीर्ण

47. व्यावृत्तियां:

जिस के लिए कोई विनियम नहीं बनाए गये हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

48. कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा, आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से संभवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबंध बना सकता है, जो इन विनियमों से असंगत न हों।

49. शिथिलिकरण की शक्ति:

आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के उसके समक्ष आवेदन करने पर, इन विनियमों के किसी भी उपबंध का शिथिलीकरण या परिवर्तन, इसके कारणों का लिखित अभिलेखन करने पर, कर सकता है।

आयोग के आदेश से

पंकज प्रकाश
सचिव
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अनुसूची 1

राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऊर्जा विक्रय कर रहे आर.ई. स्रोतों के लिए रू0/के.डब्ल्यू. एच. में स्थिर प्रभारों (आर.एफ.सी.) की दर, निम्नानुसार होगीः–

(अ)–परियोजनाऐं जिनका 01.04.2007 से पूर्व प्रर्वतन हुआ–

(i) एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू.तक)

5 एम.डब्ल्यू. तक	2.55
5 से 10 एम.डब्ल्यू. तक	2.55
10 से 15 एम.डब्ल्यू. तक	2.50
15 से 20 एम.डब्ल्यू. तक	2.45
20 से 25 एम.डब्ल्यू. तक	2.40

(ii) खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं 1.80

(ब)–परियोजनाऐं जिनका 01.04.2007 को या उसके बाद प्रर्वतन हुआ–

(i) एस.एच.पी. परियोजनाएं (25 एम.डब्ल्यू.तक)

5 एम.डब्ल्यू. तक	2.80
5 से 10 एम.डब्ल्यू. तक	2.80
10 से 15 एम.डब्ल्यू. तक	2.75
15 से 20 एम.डब्ल्यू. तक	2.70
20 से 25 एम.डब्ल्यू. तक	2.65

(ii) खोई आधारित कोजनरेशन परियोजनाएं 1.90

(iii) बायोमास परियोजनाएं 1.35

(iv) वायु परियोजनाएं 3.90